

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
संपदा विभाग

सं.इएम/एएस-111/एफ-310/6401

दि. 22.01.2013

प्रति:

पट्टेदार/किरायेदार/लाईसेंसधारी तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी संबंधित

इस कार्यालय के दि. 22.5.2012 के परिपत्र सं.इएम/एएस-111/एफ-310/1270 के क्रम में आगे, यह नोंद लें कि आयकर अधिनियम, 1961 के 194C, 194I तथा 194A के साथ पठित उसीही धारा 197 के तहत आयकर प्राधिकारियों ने प्रमाणपत्र जारी किये हैं जिनके द्वारा पोर्ट उपयोक्ता, पट्टेदार तथा किरायेदारों तथा बैंकों / वित्तीय संस्थानों को प्रमाणपत्रों में दिये टीएन (TAN) से व स्रोत पर कर की कटौती नीचे बतायेनुसार घटाये दरोसे करने के लिए प्राधिकृत किया है.

विवरण निम्नानुसार है -

अनु. क्र.	आयकर अधिनियम की धारा अनुच्छेद	आय का मद	आयकर अधिनियम के अनुसार टीडीएस की दर	स्वीकार्य निम्नतम दर (14.12.2012 से 31.3.2013 तक)
1.	194C	संविदागत आय	2%	0.01%
2.	194I	किराया	10% तथा 2%	0.01%
3.	194A	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज.	10%	4.10%

2. प्रमाणपत्र दि.14.12.2012 से 31.3.2013 तक की अवधि के लिए वैध हैं. प्रमाणपत्र सर्शत हैं तथा टीडीएस की घटायी दर प्रमाणपत्र के कॉलम 6 में दी गई आय की प्रमात्रा पर लागू है. अतः, ऐसी पार्टियों जिनके नाम टीएन (TAN) के साथ प्रमाणपत्रों में दिखाया गया है, उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मु.पो.ट्र. को विभिन्न प्रभारों का भुगतान करते समय आयकर प्राधिकारियों द्वारा संमत घटाये दरोसे कर की कटौती करने हेतु प्राधिकृत किया गया है. अतिरिक्त विस्तृत ब्योरा आयकर विभाग से लिया जा सकता है.

3. प्रमाणपत्रों की प्रतियां पोर्ट उपयोक्ता तथा अन्यो की सामान्य जानकारी हेतु संपदा विभाग के रोकड कार्यालय के सूचना फलक पर भी प्रदर्शित की गयी हैं. कृपया यह सुनिश्चित करें कि स्रोत पर कर की कटौती उपरोक्त अनुसार घटाये दर पर की गई है जो दि. 31.3.2013 तक वैध हैं.

(गौ. दत्ता)
संपदा प्रबंधक